फारम – 2, (नियम 18 (1) द्रष्टव्य)

झारखण्ड सरकार

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी–सह–श्रम अधीक्षक बोकारो

दिनांक– 8.5.15

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सं० :– 27

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा – 7 की उपधारा (2) और तदधीन बनी नियमावली के अधीन – अविनाश उपाध्याय एण्ड डेवलपर्स, चौरा चौक वसुन्धरा कॉलोनी बोकारो, प्रोपराइटर श्री सुनील चौबे S/o श्री पी० के० चौबे को

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 20 कामगार कामगारों के नियोजन के लिए मंजूर किया जाता है जिसमें निम्नलिखित ब्योरे शामिल है :–

1. स्थापना / प्रतिष्ठान में किये जाने वाले कार्य का स्वरूप :– मकान निर्माण

2. संवेदक के माध्यम से स्थापना में किये जाने वाले कार्य का स्वरूप :– निर्माण कार्य

ठेकेदार का नाम एवं पता	कार्य का स्वरूप जिसमें ठेका मजदूर नियोजित है या नियोजित किये जाएगें	ठेकेदार के माध्यम से किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले कामगारों की अधिकतम संख्या	ठेका मजदूरों के नियोजन के सम्बन्ध में अन्य ब्योरा
1	2	3	4
1- [illegible] 2. [illegible] –चास	निर्माण कार्य	10 10.	— —

8.5.2015

रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी का

हस्ताक्षर एवं मुहर

ठेका मजदूर (वि० एवं उ०) 1970

बोकारो